तारीख हुक्म	# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

रामवती बनाम इस्हाक
प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 02 / 2025

02.01.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 926 / 0.5100 बारानी प्रथम, 927 / 0.6000 बारानी प्रथम किता 2 रकबा 1.1100 हैक्टेयर वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात में वादनी के हिस्से की कब्जा काश्त में किसीस प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करे तथा उक्त आराजी या उसके किसी भी भाग को दीगर किसी शख्स को जर्ये रहन बय अथवा अन्य किसी तरह से मुंतकिल नही करे और न ही कोई मुंतकिली का दस्तावेज तहरीर व रजीबद्व करावे। तथा उक्त आराजी को कोई भी मुंतकिली का दस्तावेज पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 20 पंजीयन नही करे। अन्त में उक्त विवादित आराजी पर मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध मे वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात पक्षकारान की शामलाती आराजी है। जमाबंदी सम्वत 2072–75 के अनुसार वादनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 के मुताबिक हिस्सा हाल जमाबंदी रिकॉडेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी मौके पर बटी हुयी है। और अलग-अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है। तकसीम होने तक अपने हिस्सेनुसार कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में प्रार्थी को अप्रार्थीगण उक्त आराजी से जबरन बेदखल नही करे। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि कि हाल खसरा नम्बर 926 / 0.5100 बारानी प्रथम, 927 / 0.6000 बारानी प्रथम किता 2 रकबा 1.1100 हैक्टेयर वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में आगामी आदेशों तक मौके एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। लेकिन किसी भी न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की पालना पर प्रभावी नही रहेगा। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्टर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबंध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

10/2/25
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 2/5/25 को पेश हो।
रीडर

08/08/25 जनाई तारीख पेशी
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19/9/25 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
19/9/25	पत्रावली पेश। वकील वादी उप। प्रतिवादी 10 की ओर से वकील अशोक [illegible] का वकालतनामा पेश। बाबत जवाब प्रतिवादी 10 व तलबी शेष प्रतिवादी दिनांक 24/10/25 को पेश हो। ह0	
24/9/25	आज यह पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27/10/25 से तलब होकर पेश हुई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए Not press में खारिज करने का निवेदन किया। उक्त आदेशिका पर [illegible] इस्तगासा किया। वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली Not press में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद पूर्ति नक्शा [illegible] होकर जमा रिकॉर्ड हो। ह0	Not press उपर